

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 906/2012)

(संस्थित दिनांक :- 16/11/2012)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. रफीद खॉ पुत्र नसीब खॉ उम्र 40 वर्ष

निवासी :- समता नगर मालनपुर, थाना-मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त ।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 04/08/2016 को घोषित)

01. अभियुक्त रफीद खॉ पर भा.द.सं. की धारा 457 एवं 380 सहपठित धारा 511 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 08/10/2012 की रात्रि लगभग 02 बजे सराफ पॉलीपैक फैक्ट्री मालनपुर में, फैक्ट्री गेट का ताला तोड़कर उसमें अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया एवं उक्त फैक्ट्री में से जो कि सम्पत्ति के अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आती है, उसमें रखी हुई डी.पी. अवैध रूप से ले जाने का प्रयास कर चोरी करने का प्रयत्न किया।

02. प्रकरण में आरोपी रमेश चौरसिया पूर्व से फरार है, जिसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 08/10/2012 की रात्रि लगभग 02 बजे सराफ पॉलीपैक फैक्ट्री मालनपुर में, आरोपीगण रफीद खॉ एवं रमेश सिंह द्वारा फैक्ट्री गेट का ताला तोड़कर प्रवेश कर, फैक्ट्री में रखी डी.पी. को चोरी कर ले जाने का प्रयास करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी करतार सिंह द्वारा दिनांक 10/10/2012 को सुबह 08:10 बजे थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण रफीद एवं रमेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 153/12 अन्तर्गत धारा 457, 380 एवं 511 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपीगण रफीद एवं रमेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी करतार सिंह, साक्षी विकास एवं सोनू के कथन लेखबद्ध किये गये और विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त रफीद खॉ के विरुद्ध धारा 457, 380 सहपठित धारा 511 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी रफीद खॉ ने दिनांक :- 08/10/2012 की रात्रि लगभग 02 बजे सराफ पोली पैक फैक्ट्री मालनपुर में, फैक्ट्री गेट का ताला तोड़कर उसमें अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया?

02. क्या आरोपी रफीद ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त फैक्ट्री में से जो कि सम्पत्ति के अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आती है, उसमें रखी हुई डी.पी. अवैध रूप से ले जाने का प्रयास कर चोरी करने का प्रयत्न किया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी करतार सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी रफीद को नहीं जानता है। वह उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23/04/2015 से करीबन 02-03 साल पहले सराफ पॉलीपैक फैक्ट्री में चौकीदारी का काम करता था। साक्षी आगे कहता है कि उसकी फैक्ट्री में लगी डीपी को कोई व्यक्ति ले जा रहा था, यह बात उसे पता चली थी। उसने थाना मालनपुर में जाकर द टना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस फैक्ट्री में कभी नहीं आई, लेकिन द टनास्थल के नक्शा-मौका प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था और ना ही कोई पूछताछ की थी। साक्षी आगे कहता है कि उसका आरोपीगण से कोई राजीनामा नहीं हुआ है एवं उसका आरोपी रफीद से कोई लेना-देना नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने

पर भी फरियादी करतार अ.सा.01 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध कराने के तथ्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 का ए से ए भाग “दिनांक : 07-08/10/2012.....आया हूँ” पुलिस को ना देना व्यक्त किया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में करतार अ.सा.01 ने यह व्यक्त किया है कि जो डी.पी. चोरी गई है, उसे सिर्फ क्रेन उठा सकती है, आदमी नहीं। इस प्रकार आरोपी रफीक द्वारा आरोपित आपराधिक अतिचार एवं चोरी का प्रयत्न करने के संबंध में फरियादी करतार अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

09. साक्षी विकास अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी रफीद को नहीं जानता, उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/04/2016 से तीन-चार वर्ष पूर्व वह सर्राफ पॉलीपैक फैक्ट्री में मशीन चलाता था और फैक्ट्री में ही रहता था। फैक्ट्री से कोई व्यक्ति डी.पी. उठाकर ले जा रहे थे, तो फरियादी करतार अ.सा.01 ने उसे बुलाया तब वह व्यक्ति डी.पी. छोड़कर भाग गये थे। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने इस वावत् उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी विकास अ.सा.02 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 का ए से ए भाग पुलिस को ना देना व्यक्त किया और अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक : 07-08/10/2012 की रात्रि लगभग 02 बजे आरोपी रफीद ताला तोलकर उस स्थान पर घुस आया था, जहाँ पर डी.पी. रखी हुई थी और सहअभियुक्त के साथ उक्त डी.पी. को ले जा रहा था। इस प्रकार आरोपी रफीक द्वारा आरोपित आपराधिक अतिचार एवं चोरी का प्रयत्न करने के संबंध में साक्षी विकास अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

10. साक्षी सोनू अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी रफीद को नहीं जानता, उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/04/2016 से तीन-चार वर्ष पूर्व वह सर्राफ पॉलीपैक फैक्ट्री में मशीन चलाता था और फैक्ट्री में ही रहता था। फैक्ट्री से कोई व्यक्ति डी.पी. उठाकर ले जा रहे थे, तो फरियादी करतार अ.सा.01 ने उसे बुलाया तब वह व्यक्ति डी.पी. छोड़कर भाग गये थे। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने इस वावत् उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी सोनू अ.सा.03 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और उसके पुलिस कथन प्र.पी.05 का ए से ए भाग पुलिस को ना देना व्यक्त किया और अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक : 07-08/10/2012 की रात्रि लगभग 02 बजे आरोपी रफीद ताला तोलकर उस स्थान पर घुस आया था, जहाँ पर डी.पी. रखी हुई थी और सहअभियुक्त के साथ उक्त डी.पी. को ले जा रहा था। इस प्रकार आरोपी रफीक द्वारा आरोपित आपराधिक अतिचार एवं चोरी का प्रयत्न करने के संबंध में साक्षी सोनू अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

11. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रफीद खॉ ने दिनांक :- 08/10/2012 की रात्रि लगभग 02 बजे सराफ पोली पैक फैक्ट्री मालनपुर में, फैक्ट्री गेट का ताला तोड़कर उसमें अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया एवं उक्त फैक्ट्री में से जो कि सम्पत्ति के अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आती है, उसमें रखी हुई डी.पी. अवैध रूप से ले जाने का प्रयास किया।

अंतिम निष्कर्ष

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी रफीद खॉ के विरुद्ध धारा 457, 380 सहपठित धारा 511 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी रफीद खॉ को धारा 457, 380 सहपठित धारा 511 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

13. आरोपी रफीद खॉ के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये गये। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

14. प्रकरण में आरोपी रमेश चौरसिया के संबंध में निर्णय अभी शेष हैं। इसलिए प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद